178/XV - 19-06-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश , गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, ग़ाजीपुर के पत्रांक 4761 पे०स० /2020 दिनांकित 07/06/2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि मुहल्ला जफरपुरा, वार्ड न०-3 नगर पालिका परिषद ,मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में कोरोना पाजिटिव पाये गये व्यक्ति के घर से दीवानी न्यायालय परिसर की दूरी के परिप्रेक्ष्य में वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद , गाजीपुर कंटेनमेंट जोन में है, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में दी गइ गाईड लाईन के पैरा- 14 के आलोक में वाह्य न्यायालय मुहम्मदाबाद को कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए बन्द किये जाने का आदेश दिनांक 07/06/2020 को दिया गया था।

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4829/ आ०लि०-1/2020 दिनांकित 18 जून 2020 के माध्यम से वार्ड जफरपुर नगर पालिका परिषद , मुहम्मदाबाद , गाजीपुर सहित तहसील जखनियां के दो अन्य क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन से बाहर होने की सूचना मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर की आख्या दिनांक 18/06/2020 के आलोक में निर्धारित अवधि में कोई अन्य कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में दी गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वार्ड जफरपुर के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर व कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर से टेलीफोनिक वार्ता की गई तो यह अवगत कराया गया कि लिपिकीय त्रुटिवश वार्ड जफरपुर अंकित हो गया है जबकि मुहल्ला जफरपुरा वार्ड न०-03 होना चाहिए जैसा कि पूर्व प्राप्त पत्र, उपरोक्त दिनांक 07/06/2020 में उल्लिखित है।

तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में दी गई गाइडलाईन के आलोक में वाह्य स्थित समस्त न्यायालय/ कार्यालय मुहम्मदाबाद , गाजीपुर दिनांक 20/06/2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेगें।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से अपेक्षित किया जाता है कि प्रतिदिन वाह्य न्यायालय परिसर मुहम्मदाबाद को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग कराते हुए दिन - प्रतिदिन की रिपोंट इस कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर, वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद के समस्त पीठासीन अधिकारीगण तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/ महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्र में कराना सुनिश्चित करें। इसकी सूचना मा० उच्च न्याया० इला० को भी प्रेषित की जाए। *

दिनांक-19-06-2020

19.6.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,

गाजीपुर।

जनपद न्यायाधीश

गाजीपुर